न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 31 / 2025(GCMS 2025/197)
(RTI No.: 212093370960057)

श्री छोटा सिंह वल्द आत्मा सिंह निवासी वार्ड नं. 3, गजसिंहपुर तहसील गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 97722–47363)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी छोटा सिंह के अधिवक्ता श्री गोपाल कपूर उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्होने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसे लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री छोटा सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> श्रीमानजी, मुझ प्रार्थी छोटा सिंह पुत्र आत्मा सिंह जाति छिम्पा निवासी गजसिंहपुर द्वारा श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करके पुलिस थाना गजसिंहपुर के पक्ष में अप्रार्थी कुलविन्द्र सिंह वगैरहा के नाम से सर्च वारंट जारी कराया था, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमांक न्याय / 2019 / 1759 दिनांक 02.08.2021 को पुलिस थाना गजसिंहपुर को जारी किया गया है। प्रार्थी को उक्त सर्च वारंट की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता है। अतः श्रीमानजी सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त सर्च वारंट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जावे।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी / वाचक / 25 / 1164 दिनांक 21.05.2025 से रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा अपील का कोई जवाब / टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सम्बन्ध में कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं। आप द्वारा अपील का कोई जवाब न देना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 07 दिवस में, पंजीकृत पत्र द्वारा, वांछित सूचना, जो आपके कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित किया जावे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:02 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर